न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर हजारीबाग।

विविध वाद संख्या–02/2020–21

महेन्द्र किशोर मेहता बनाम रामकृष्ण महतो वगैरह

–:आदेश:–

यह वाद आवेदक महेन्द्र किशोर मेहता पिता स्व0 जगदीश महतो ग्राम लुपुगं थाना कटकमसाडी जिला हजारीबाग के आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी कटकमसाडी का पत्रांक 07 दिनांक 10.01.2020 द्वारा प्रेषित विविध वाद संख्या–16/2019–20 प्रारंभ कर उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर सम्पूर्ण जाँच के पश्चात् T.S. वाद संख्या–127/06 में माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में आवेदक के नाम जमाबन्दी कायम करने हेतु अनुशंसा सहित पत्रांक 07 दिनांक 10.01.2020 द्वारा अभिलेख भेजा गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। इस न्यायालय से उभयपक्ष को अपना दावा एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु P/191 दिनांक 20.06.2020 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया एवं अभिलेख सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गयी।

प्रथम पक्ष (आवेदक) के द्वारा अपने लिखित जवाब एवं अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि मौजा– डांड, थाना नं 46 खाता नं0 101 प्लॉट नं0 371 एवं अन्य रकवा 9.79 एकड़ सर्वे खतियान में ''बकास्त लगान पानेवाला'' खेवट नं0 3/3 बालक महतो का नाम दर्ज है, जो आवेदक के पूर्वज है। भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है :–

मौजा डांड थाना न0 46 खाता नं0 101

प्लॉट नं0	रकवा	प्लॉट नं0	रकवा
371	0.12 एकड़	2037	3.82 एकड़
381	0.27 एकड़	684	0.15 एकड़
382	0.12 एकड़	2977	0.10 एकड़
775	0.08 एकड़	1695	0.21 एकड़
805	0.34 एकड़	3066	0.16 एकड़
975	0.37 एकड़	1696	0.15 एकड़
979	0.32 एकड़	3186	0.17 एकड़
1024	0.41 एकड़	1918	0.27 एकड़
2033	2.73 एकड़		

कुल प्राप्त 17 सतरह कुल रकवा 9.79 एकड़

आवेदक का आगे कहना है कि उपरोक्त भूमि सर्वे खतियान में ''बकास्त लगान पाने वाला'' वालक महतो पिता मोहर महतो खेवट न0 3/3 में दर्ज हैं एवं भूमि पर खतियानी रैयत का दखल कब्जा था, खतियानी रैयत बालक महतो की मृत्यु के पश्चात आवेदक के पिता स्व0 जगदीश महतो का दखल कब्जा रहा है, पिता जगदीश महतो के मृत्यु के पश्चात आवेदक का दखल कब्जा चला आ रहा है।

प्रतिवादी द्वारा बताया गया है कि रानी रिखीनाथ कुवंरी द्वारा विपिन महतो बालक महतो, बुलाकी महतो एवं अलीजान मियाँ को तीन वर्ष (1911.1913) के लिए खाता सं0 101, 60, 02, 122 की जमीन ठीका पर दिया गया था, इस बीच सर्वे कार्य चल रहा था। सर्वे में इनलोगों का नाम दर्ज हो गया तीन साल बाद उपरोक्त व्यक्तियों से रानी द्वारा ठीका वापस ले लिया गया एवं उपरोक्त खाते की जमीन विभिन्न रजिस्टर्ड (निबंधित) डीड के माध्यम से अलग-अलग व्यक्तियों के नाम रानी के द्वारा बिक्री कर दी गयी। विपक्षी के द्वारा टेकन महतो के नाम खाता 02, 60, 101, 122 रकवा 13.12 एकड़ निर्गत रसीद की कॉपी दाखिल की गयी। विपक्षी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शिव प्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित पत्र की छाया प्रति दाखिल की गयी है, जिसमें लिखा है कि T.S No 127/06 के विरूद्ध F.A 195/2016 माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी है। इसके अतिरिक्त कोई कागजात दाखिल नहीं की गयी है।

आवेदक का कहना है कि विपक्षी के उपरोक्त सभी कथन एंव दाखिल कागजात को माननीय व्यवहार न्यायालय के T.S.NO 127/06 जो विपक्षी के ही द्वारा दायर किया गया था उसे विस्तृत जाँच एवं सम्पूर्ण कारवाई के पश्चात खारीज किया जा चुका है, एवं आवेदक के पक्ष में फैसला दिया गया है कि विपक्षी का उक्त भुमि पर कभी दखल कब्जा नहीं रहा है और न वर्तमन में है। इस वाद के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है, विपक्षी के द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है।

आवेदक के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के LPA NO 425/2006 में दिनांक 10.2.09 में पारित आदेश की प्रति दाखिल की गयी है, जिसके कंडिका 25 में माननीय सर्वोच्य न्यायालय में सुरजभान एवं अन्य बनाम वित्त आयुक्त एवं अन्य (2007) 6SCC186 में प्रकाशित मामले में अभिनिर्धारित किया है कि ''राजस्व अभिलेखों या जमाबन्दी में प्रविष्टियाँ मात्र राजकोषीय प्रयोजन के लिए है'' सम्पति का अभिधान केवल एक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है''।

आवेदक का अनुरोध है कि खतियानी रैयत के वंशज हैं, विपक्षी के दावा को स्वंय उन्हीं के द्वारा दायर T.S.NO 127/06 में खारीज किया जा चुका है भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है जमाबन्दी कायम कर सरकारी रसीद निर्गत किया जाय।

उपरोक्त विवेचनाओं एवं तथ्यों के आधार पर तथा अंचल अधिकारी कटकमसाड़ी की अनुशंसा खाता 101 का खेवट खतियान एवं T.S NO 127/06 में माननीय न्यायालय द्वारा पारीत आदेश से स्पष्ट है कि आवेदक का दावा सही है जबकि विपक्षी के दावा का सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा खारीज किया जा चुका है, एवं इस आदेश के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है।

अतः प्रश्नगत भूमि का विपक्षी के नाम से कायम जमाबांदी को स्थगित करते हुए आवेदक महेन्द्र किशोर मेहता पिता स्व0 जगदीश महतो के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, कटकमसांडी को आदेश दिया जाता है कि मौजा डांड थाना नं0 46 खाता नं0 101 प्लॉट नं0 371 एवं अन्य 16 कुल रकवा 9.79 एकड़ भूमि की जमाबन्दी आवेदक के नाम राजस्व पंजी–II में दर्ज कर जमीनदारी उन्मूलन की तिथि से मालगुजारी वसूल कर सरकारी रसीद निर्गत करें। इस आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी कटकमसाण्डी को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

15/07/09

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सदर, हजारीबाग।

15/07/09

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सदर, हजारीबाग।

Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2022.11.09 16:29:48 +05:30
Location: 192.168.1.62